HAPPY INDEPENDENCE DAY

WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

AUGUST 2023

Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; **Fax: 0121-4346686**

E-mail:wupcc@rediffmail.com **Website:**www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi
- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta
- **Sr. Vice President**
  Shri G.C. Sharma
- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar
- **Secretary / Editor**
  Smt Sarita Agarwal

Patrika Committee

- **Chairman**
  Shri Rahul Das
- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain
- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri Atul Bhushan Gupta
- **Co-Editor**
  Mr. Prashant Kumar

INDEX

- शिकंजा: जीएसटी चोरी में धन शोधन की भी जांच
- टर्नओवर और टैक्स देनदारी में अंतर पर देना होगा जवाब
- नौ लाख व्यापारियों के लिए चुनौती हाथ से बिल काटा तो टैक्स चोरी
- 30 दिनो के भीतर देना होगा बैंक खाते का ब्योरा
- सख्ती: बड़ी खरीदारी में कई पैन कार्ड का इस्तेमाल भारी पड़ेगा
- पांचली खुर्द की जमीन ट्रांसपोर्ट नगर से मुक्त, अब कोई भी खरीद सकेगा भूखंड
- 9068884432 पर करें शिकायत, होगी कार्रवाई लगेंगी शिकायत पेटियां
- विवादित भूखंडों पर कब्जे को समय मिलेगा
- भूखंडो की ऑनलाइन नीलामी से औधोगिक विकास को गति देने की तैयारी
- औधोगिक लाइसेंस की वैधता तीन साल से बढ़ाकर 15 साल की
- उद्योगों को आसानी से मिलेगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण- पत्र
- लोन के लिए प्राधिकरण से मकान का नक्शा पास कराना होगा जरुरी
- मानचित्र के लिए नगर निगम की एनओसी की आवश्यकता खत्म
- बिजली उपभोक्ताओं की व्यथा सुनेगा निवारण फोरम
- हर काम में अब मान्य होगा जन्म प्रमाण पत्र
- निवेश मित्र पोर्टल से जोड़ी जाएंगी अब 36 और सेवाएं
- निजी फार्मास्युटिकल व् डिवाइस पार्क को देंगे विशेष प्रोत्साहन
- जुर्माना लेकर ख़त्म होंगे छोटे अपराध के मुक़दमे
- कमिश्नर ही बदल सकेंगे जमीनों का भू-उपयोग
- साइबर ठगी: एक माह में 137 मामले अब घर बैठे ही पोर्टल पर करे शिकायत
- निर्यात बढ़ाने के लिए 40 देशों पर खास नजर
- सोना- चांदी व कीमती रत्नों पर भी अब लगेगा ई-वे बिल
- Nipro PharmaPackaging is now Great Place to Work certified!!
- Govt eases norms to avail benefits under advance authorisation scheme

केंद्र ने कानून में संशोधन कर प्रवर्तन निदेशालय को सूचना साझा करने की अनुमति दी

शिकंजा: जीएसटी चोरी में धन शोधन की भी जांच

केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) को धन शोधन रोधक कानून (पीएमएलए) के दायरे में ला दिया है। इसके तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जीएसटी नेटवर्क के साथ सूचना साझा करने की अनुमति दे दी गई है। इस कदम से जीएसटी चोरी या फर्जी चालान बनाकर कर छूट का दावा करने वालों के खिलाफ ईडी भी जांच कर सकेगा और उन पर धन शोधक कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सकेगा।

इसलिए करना पड़ा बदलाव: सरकार ने धन शोधन रोधक कानून के प्रावधानों में संशोधन करते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार जीएसटी में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए राज्यों के साथ मिलकर साझा कार्रवाई कर रही है। बीते कुछ महीनों में जीएसटी में फर्जीवाड़े के आंकड़े बढ़े हैं।कई कंपनियों के खिलाफ भारी रकम छिपाने के मामले भी उजागर हुए हैं। सरकार का मानना है कि कई फर्जी कंपनियों ने जीएसटी के तहत पंजीकरण तो करा लिया है, लेकिन वे विदेशी मुद्रा का उल्लंघन कर रही हैं।

SHUBHAM ORGANICS LIMITED

Mfrs. of:

Pharmaceuticals Industrial Chemicals,
Bulk Drugs & Drug Intermediates

Corporate Office & Works:
303-A, Industrial Area, Partapur
Meerut- 250103 (U.P.) India
Ph.: 91-121-2440711
Email: lionramkumar@gmail.com

Regd. Office:
204, M.J. Shopping Centre,
3, Veer Savarkar Block,
Shakarpur, Delhi-110092
Ph.: 91-11-22217636

मुखौटा कंपनियों का खुलासा हो सकेगा

कर विशेषज्ञों का कहना है कि पीएमएलए के तहत जीएसटीएन को अधिसूचित करने से एक ऐसा कानूनी ढांचा तैयार होगा, जिससे बड़ी कर चोरी करने वाले लोगों पर शिकंजा कस उन्हें बकाया कर भुगतान करने के लिए बाध्य किया जा सकेगा । इनमें ऐसी मुखौटा कंपनियों भी शामिल होंगी, जो फर्जी जीएसटी पंजीकरण से कर की चोरी में शामिल होती हैं ।

क्या है जीएसटीएन

जीएसटीएन अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की प्रौद्योगिकी को संभालता है और रिटर्न, कर दाखिल करने के ब्योरे व अन्य अनुपालन सहित जीएसटी से संबंधित सभी सूचनाओं का संग्रहण करता है। धन शोधन रोधक अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों में संशोधन के अनुसार,जीएसटीएन को उन इकाइयों की सूची में शामिल किया गया है, जिनके साथ ईडी सूचना साझा करेगा।

15 हजार करोड़ से अधिक की कर चोरी पकड़ी:

जीएसटी अधिकारियों ने देशभर में चलाए जा रहे अभियान के तहत अबतक 4,900 से अधिक फर्जी जीएसटी पंजीकरण रद्द किए हैं। इसके अलावा अभियान में 17,000 ऐसी जीएसटी संख्याओं की पहचान की गई है, जो मौजूद नहीं हैं ।अधिकारियों के अनुसार इन मामलों में 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी चोरी का पता चला है । विभाग ने वित्त वर्ष 2022- 23 में 1.01 लाख करोड़ रूपये से अधिक की जीएसटी चोरी का पता लगाया था।

अधिक कर छूट दावे की वजह बतानी होगी

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद एक नया क़ानून लाने की तैयारी कर रही है। इस के तहत यदि किसी कंपनी या कारोबारी ने अधिक कर छूट दावे (इनपुट कर क्रेडिट)का दावा किया है, तो उसे इसकी वजह बतानी होगी या अतिरिक्त राशि सरकारी खजाने में जमा करानी होगी।

टर्नओवर और टैक्स देनदारी में अंतर पर देना होगा जवाब

जीएसटी चोरी पर सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। इस क्रम में 11 जुलाई को आगामी जीएसटी कॉउंसिल की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक जीएसटीआर में दिखाए गए टर्नओवर और टैक्स देनदारी में अधिक अंतर मिलने पर अब कारोबारियों से जवाब मांगा जाएगा। वहीं अगर कारोबारी कुल कारोबार का 20 प्रतिशत से अधिक का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का दावा करता है तो उसे इसका जवाब देना होगा।

मैन्युफैक्चरर्स जीएसटी रिटर्न भरने के दौरान अपने इनपुट सप्लायर्स द्वारा दिए गए टैक्स को आइटीसी के रूप में सरकार से वापस लेते है। कई बार कारोबारी अपने कुल कारोबार के मुकाबले अधिक आइटीसी का दावा कर देता है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है या फिर उस मामले को सुलझाने में काफी परेशानी होती है। अब जीएसटीएन पोर्टल आटो जेनरेटेड तरीके से अधिक आइटीसी दावा करने वाले कारोबारी को नोटिस भेज देगा। जीएसटी कॉउंसिल की बैठक में यह फैसला किया जाएगा कि किसी सीमा से अधिक आइटीसी का दावा करने पर कारोबारी को नोटिस भेजा जाए और इस प्रकार की गलती करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। आइटीसी दावों के अलावा कुल टर्नओवर और जीएसटी देनदारी में अधिक अंतर पर भी कारोबारियों को आटो जेनरेटेड नोटिस भेजा जाएगा और उन्हें एक निश्चित समय में जवाब देना होगा। आगामी बैठक में इसकी सीमा भी तय हो सकती है।

जीएसटी पोर्टल ने नोटिस भेजने का काम शुरू किया

जीएसटी विशेषज्ञ एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) प्रवीण शर्मा ने बताया कि कारोबारी जीएसटीआर-1 में बिक्री, इनवायस और टर्नओवर सबंधी जानकारी देता है। वही कारोबारी जीएसटीआर- 3बी में जीएसटी देनदारी दिखाता है। मान लीजिए कारोबारी ने टर्नओवर एक करोड़ का दिखाया और उस पर 18 लाख रूपये की देनदारी बन रही है, लेकिन कई बार कारोबारी 18 लाख की जगह सिर्फ आठ लाख की देनदारी दिखाता है। अब जीएसटी पोर्टल इस प्रकार की कमियों को खुद पकड़ लेगा। जीएसटी पोर्टल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस प्रकार की गलती पर नोटिस भेजने का काम करने लगा है। बैठक में ऐसी गलती पर कार्रवाई को लेकर फैसला होगा।

ओएनडीसी पर टीसीएस को लेकर भी फैसला संभव

जीएसटी कॉउंसिल की बैठक में सरकारी ई-कॉमर्स प्लेटफार्म ओपन नेटवर्क फार डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) पर टैक्स क्लेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) को लेकर भी फैसला हो सकता है। अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर वस्तुओं की बिक्री पर टीसीएस वसूलने की जिम्मेदारी प्लेटफार्म संचालकों की होती है, लेकिन ओएनडीसी का ई-कॉमर्स माडल अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफार्म से भिन्न है। इसलिए ओएनडीसी पर टीसीएस को लेकर अभी असमंजस है।

- कुल कारोबार का 20 प्रतिशत से अधिक आइटीसी का दावा करने पर बढ़ सकती है मुश्किलें

अब ईडी और जीएसटीएन साझा करेंगे सूचना

सरकार से मनी लांड्रिंग कानून के प्रविधानों में संशोधन करते हुए ईडी को जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के साथ सूचना साझा करने की अनुमति दे दी है। इस कदम से मनी लांड्रिंग के जरिये की गई जीएसटी चोरी की वसूली में मदद मिलेगी। जीएसटीएन अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की प्रौधोगिकी को संभालता है और रिटर्न, कर दाखिल करने के ब्योरे व अन्य अनुपालन सहित जीएसटी से संबंधित सभी सूचनाओं का संग्रह करता है। पिछले साल नवंबर में सरकार ने ईडी को आर्थिक अपराधियों की जानकारी गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआइओ), भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) और एनआइए के साथ साझा करने की अनुमति दी थी।

मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के प्रविधानों में किए गए संशोधन के अनुसार, जीएसटीएन को उन इकाइयों की सूची में शामिल किया गया है, जिनके साथ ईडी सूचना साझा करेगा।

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि पीएमएलए के तहत जीएसटीएन को अधिसूचित करने से एक ऐसा क़ानूनी ढांचा तैयार होगा, जिससे बड़ी कर चोरी करने वाले लोगों पर शिकंजा कसेगा और उन्हें बकाया कर भुगतान करने के लिए बाध्य किया जा सकेगा। मोहन ने कहा कि जीएसटीएन संभावित कर अपराधियों के बारे में प्रासंगिक जानकारी संबंधित अधिकारियों को दे सकता है ताकि जीएसटी क़ानून के तहत जांच, निर्णय और करों की वसूली की कार्यवाही शुरू की जा सके।

- केंद्र सरकार ने मनी लांड्रिंग एक्ट, 2002 के प्रविधानों में किया बदलाव
- विशेषज्ञ बोले - इस कदम से कर चोरी करने वालों पर कसेगा शिकंजा

नौ लाख व्यापारियों के लिए चुनौती हाथ से बिल काटा तो टैक्स चोरी

छह साल में एक बार भी टर्नओवर पांच करोड़ पार तो नियम की जद में

अब हाथ से बिल काटने के दिन लद गए। एक अगस्त से पांच करोड़ रूपये से ज्यादा टर्नओवर वाले छोटे व्यापारियों को भी ई इनवायस जारी करनी होगी। आज के बाद हाथ से जारी बिलों को टैक्स चोरी के समकक्ष माना जाएगा। इस नियम की जद में प्रदेश में करीब नौ लाख व्यापारी आएंगे।

सामान्यतः कोई भी नया नियम पिछले वित्त वर्ष से लागू माना जाता है लेकिन ई इनवायस का नियम सात साल पुराने कारोबार पर भी प्रभावी किया गया है। वर्ष 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद किसी एक साल भी टर्नओवर ने पांच करोड़ पार किया होगा तो ई इनवायस लागू होगी। इसका मकसद टैक्स चोरी पर अंकुश लगाना है। हाथ से जारी बिलों में जमकर टैक्स चोरी की वजह से इसे पांच करोड़ टर्नओवर की सीमा तक लाया गया है।

ई इनवायस नियम की शुरुआत वर्ष 2012 में 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों पर लागू करने के साथ हुई थी। फिर इसे घटाकर 50 करोड़ टर्नओवर पर लागू किया गया। पिछले साल एक अक्टूबर से इसकी सीमा 10 करोड़ कर दी गई। अब एक अगस्त से ये पांच करोड़ हो गई है। जल्द इसे दो करोड़ रूपये टर्नओवर पर भी लागू करने की तैयारी है।

एक गलती भी पड़ेगी बहुत भारी: ई इनवायस लागू होने के बाद अब बेहद सावधानी से कारोबार करना पड़ेगा वरना लेने के देने पड जाएंगे। पहला- गलती से भी हाथ का बिल जारी कर दिया तो माल की सप्लाई बिना बिल की यानी टैक्स चोरी मानी जाएगी। दूसरा- अब मैनुअल बिल से क्रेता ने माल लिया तो माना जाएगा कि उसने बिना वैध इनवायस के माल लिया है। और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईसीसी) शून्य हो जाएगा। इसी के साथ पिछले सारे आईटीसी की वसूली विभाग कर लेगा। तीसरा- ई इनवायस भरने में गलती होने पर केवल 24 घंटे में संशोधन किया जा सकेगा, उसमे भी तमाम पेच हैं। इनवायस भरने में गलती हो गई है तो डेबिट नोट व क्रेडिट नोट जारी करे। ये भी ई इनवायस पोर्टल से जारी होगी। फ़िलहाल इसे बिजनेस-टू-बिजनेस (बी-टू-बी) पर लागू किया गया है। इस नियम का असर कपडा, दवा, हार्डवेयर व जनरल स्टोर से जुड़े व्यापारियों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। अंतरदेशीय भुगतान प्लेटफार्म सिस्टम स्काईड्रू के सीईओ श्रीवत्सन श्रीधर ने कहा कि देश में 6.33 करोड़ छोटी इकाइयां हैं, जिसमे 14 फीसदी यूपी में हैं। इस फैसले से कम से कम 30 फीसदी एमएसएमई इकाइयां पांच करोड़ रूपये के टर्नओवर के दायरे में आ जाएंगी।

- जल्द ही नियम को दो करोड़ रूपये टर्नओवर पर लागू करने की तैयारी

30 दिनो के भीतर देना होगा बैंक खाते का ब्योरा

फर्जी पंजीयन रोकने के लिए जीएसटी कॉउंसिल ने उठाया कदम

जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) पर फर्जी पंजीयन को रोकने के लिए जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में कई फैसले किए गए। अब जीएसटीएन पर पंजीयन कराने के 30 दिनों के भीतर अपना वैध बैंक खाता नंबर देना होगा अन्यथा जीएसटीएन पर पंजीयन को रद कर दिया जाएगा। पहले 45 दिनों के भीतर बैंक खाते का विवरण देना होता था। कई बार तो कारोबारी बैंक

खाते का विवरण नहीं भी देते थे। नए नियम के मुताबिक बैंक खाते के साथ 30 दिनों के भीतर पैन नंबर भी देना अनिवार्य कर दिया गया है। भविष्य में संदिग्ध कारोबारियों का जीएसटीएन पर आधार के बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण से पंजीयन किया जाएगा। गुजरात और पुडुचेरी में बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण के पायलट प्रोजेक्ट के बाद अब आंध्र प्रदेश ने भी इसे अपनाने की इच्छा जाहिर की है। जीएसटी काउंसिल के फैसले के मुताबिक अब सरकार से सीमा से अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) भी नहीं वसूला जा सकेगा। हाल ही में जीएसटीएन पर पंजीकृत फर्जी कारोबारियों की पहचान के लिए अप्रत्यक्ष कर विभाग की तरफ से अभियान चलाया गया जिसके तहत 17,000 पंजीयन फर्जी पाए गए।

25 लाख से अधिक का दावा करने पर नोटिस जारी होगा

जीएसटी के विशेषज्ञ एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) प्रवीण शर्मा ने बताया कि जब कारोबारी जीएसटीआर-1 का रिटर्न भरता है तो उसमें उसके कारोबार की विस्तृत जानकारी होती है और उसके आधार पर जीएसटीआर-2बी जेनरेट होता है। इस 2बी में स्वत: यह पता लग जाता है कि कारोबारी का आईटीसी कितना बन रहा है। मान लीजिए कारोबारी का आईटीसी एक करोड़ बन रहा है और वह 1.26 करोड़ के आईटीसी का दावा करता है तो कारोबारी को नोटिस जारी किया जाएगा और उसे जवाब देना होगा। 2बी में जेनरेट होने वाले आईटीसी की रकम से 25 लाख से अधिक का आईटीसी दावा करने पर नोटिस जारी होगा।

- नए नियम के मुताबिक 30 दिन के अंदर पैन नंबर देना भी किया गया अनिवार्य
- आंध्र प्रदेश ने भी बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण अपनाने की इच्छा जताई
- जीएसटी रिटर्न में विसंगतियों की सफाई देने की सुविचारित व्यवस्था बता रही है कि सरकार सच्चे करदाताओं का ख्याल भी रखती है।

सख्ती: बड़ी खरीदारी में कई पैन कार्ड का इस्तेमाल भारी पड़ेगा

शादी -ब्याह और अन्य बड़े आयोजन के लिए बड़ी खरीदारी करने वालों पर आयकर विभाग की पैनी नजर है । विभाग के मुताबिक बहुत से लोग खरीदारी के दौरान कर से बचने के लिए कई पैन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं । इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है । विभाग समक्ष ऐसे कई मामले सामने आए हैं और उन्हें नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है ।

कर विशेषज्ञों का कहना है कि अभी कई लोग दो लाख रुपये से अधिक की खरीदारी करने पर ऑनलाइन भुगतान करने के बजाए नकद देना पसंद करते हैं ताकि टैक्स देने से बचा जा सके । यही नहीं शादी समारोह में होटल और बैंक्वेट हॉल का बिल भरते समय भी नजदीकी रिश्तेदारों का पैन कार्ड इस्तेमाल कर लेते हैं । इससे देखते हुए आयकर विभाग ने होटल, बैंक्वेट हॉल और लक्जरी व ब्रांडेड सामान बेचने वाले शॉपिंग मॉल में अपनी जांच तेज कर दी है । विभाग की नजर दो लाख से अधिक के लेनदेने करने वालों पर है ।

विक्रेता को फॉर्म में बिक्री का ब्योरा भरना होगा

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के फैसले के अनुसार, अब विक्रेता को दो लाख रुपये से अधिक की बिक्री या सर्विस चार्ज लेते समय एक फॉर्म भरना होगा । इसमें खरीद और बिक्री से संबंधित सारी जानकारी देनी होगी । साथ ही खरीदार का पूरा ब्योरा भी इसमें शामिल होगा । यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक पैन कार्ड लगाता है तो इसकी जानकारी भी इसमें दर्ज होगी ।

PASWARA PAPERS LTD.

Paswara Border, N.H. 58, Delhi Road,
Mohiuddinpur, Meerut (U.P.)
Tel. 0121-4020444, 4056536
Web: www.paswara.com
E-mail: vk@paswara.com

A Pioneer Unit for Manufacturing of:

“MULTILAYER KRAFT PAPER, M.G. KRAFT PAPER & KRAFT BOARD”

फैसले से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी

जानकारों का कहना है कि इस कदम से महंगे सामान की खरीद- बिक्री करने वाले स्रोतों का डाटा विश्लेषण आसानी से हो सकेगा । कई बार ग्राहक दो लाख रुपये से अधिक का बिल बन जाने पर उसे दो भाग में बांटने का अनुरोध करते हैं, लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे ।

हर आयकर नोटिस डराने वाला नहीं होता

आयकर रिटर्न में गड़बड़ी वाले करीब एक लाख लोगो को विभाग ने नोटिस भेजे है। कर विशेषज्ञों के अनुसार हर नोटिस डराने वाला नहीं होता है। विभाग किसी स्पष्टीकरण के लिए ही करदाता को नोटिस जारी करता है। आइए जानते है कि आयकर नोटिस कितनी तरह के होते है.....

धारा 143(1) के तहत-

रिटर्न के सफलतापूर्वक दाखिल करने पर इस धारा के तहत सूचना भेजी जाती है । इसमें बकाया कर या रिफंड के संबंध में सूचित किया जाता है ।

धारा 143(2) के तहत -

रिटर्न में किसी तरह की गड़बड़ी पर यह नोटिस आता है । करदाता द्वारा आय कम बताने या अत्यधिक नुकसान का दावा करने अथवा कम कर चुकाने पर विभाग जांच करता है । करदाता से जरूरी दस्तावेज मांगे जाते हैं ।

धारा 148 के तहत-

यदि किसी करदाता ने अपनी वास्तविक आय का खुलासा सही तरीके से नहीं किया है तो उसका आकलन करने के लिए यह नोटिस भेजा जाता है । कर अधिकारी कई पैमानों पर आय का मूल्यांकन कर सकता है ।

पांचली खुर्द की जमीन ट्रांसपोर्ट नगर से मुक्त, अब कोई भी खरीद सकेगा भूखंड

रियल एस्टेट डेवलपर्स संग बैठक में मेडा वीसी की घोषणा, भू उपयोग परिवर्तन का आश्वासन

पांचली खुर्द में ट्रांसपोर्ट नगर के लिए निर्धारित किए गए भू- उपयोग व आरक्षण को मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) ने मुक्त कर दिया है, क्योंकि वहां पर ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बनेगा। अब उस जमीन को कोई भी खरीद सकेगा। उस जमीन पर किसी भी तरह के निर्माण के लिए मानचित्र आवेदन किया जा सकेगा।

पांचली में ट्रांसपोर्ट नगर का अध्याय समाप्त

बागपत रोड पर पांचली खुर्द गांव में 2012 में मेरठ विकास प्राधिकरण मेडा ने न्यू ट्रांसपोर्ट नगर विकसित करने का निर्णय किया और उसी साल भूमि अधिग्रहण की बात शुरू हो गई। 38.9260 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया।

धारा-चार व छह सभी प्रक्रिया भी हुई। उसी तेजी में मेडा ने 19 करोड़ रूपये भी एडीएम (एलए) के खाते में जमा कर दी, फिर किसानों से मुआवजा का मामला आ गया। भू- अधिग्रहण नीति - 2013 जैसे ही लागू हुई किसानों ने उसके हिसाब से मुआवजा मांग लिया। लगभग 97 खसरे चिन्हिंत हुए थे जिसमे 100 किसान थे। इससे मेडा शांत पड गया। लेकिन कुछ साल बाद इसकी फाइलें फिर निकलती रहीं। कई बार सर्वे भी हुआ लेकिन अधिग्रहण नहीं हो पाया। पिछले दो साल में मेडा ने एडीएम एलए से पूरी धनराशि वापस ले ली और पिछले साल पांचली की फाइल बंद कर दी। वर्तमान में सिटी लाजिस्टिक प्लान के तहत दो ट्रांसपोर्ट नगर का प्रस्ताव है। एक सिवाया और दूसरा खरखौदा - दिल्ली रोड या फिर हापुड़ रोड पर बनेगा। इसके साथ ही परतापुर में लाजिस्टिक पार्क का भी प्रस्ताव है।

9068884432 पर करें शिकायत, होगी कार्रवाई लगेंगी शिकायत पेटियां

मेडा उपाध्यक्ष अभिषेक पांडेय ने बताया कि दिसंबर तक शून्य भ्रष्टाचार संस्थान के तौर पर मेडा को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के चलते डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब नामांतरण पूरी तरह से ऑनलाइन ही किया जाएगा। प्राधिकरण से जुड़े किसी

भी मामले में अगर कोई रिश्वत मांगता है तो सीधे उनके व्हाटसअप नंबर 9068884432 पर वीडियो अथवा ऑडियो कॉल रिकॉर्ड करके शिकायत भेज सकते है। इसे गंभीरता से लिया जाएगा। शिकायतकर्ता का नाम भी गोपनीय रहेगा। इसके अलावा अन्य मामलों के निस्तारण के लिए भी अलग- अलग अफसरों के नंबर जारी किए जाएंगे। विभाग में शिकायत पेटियां भी लगाई जाएंगी।

विवादित भूखंडों पर कब्जे को समय मिलेगा

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने किन्हीं कारणों से भूखंड पर भौतिक कब्जा न पा सकने वाले आवंटियों को बड़ी राहत दी है । ऐसे भूखंड जिन पर विवाद के कारण इकाई स्थापित करना संभव नहीं हो पाया है , वहां भौतिक कब्जे की अवधि का समय विस्तार किया जाएगा ।

यह निर्णय यूपीसीडा बोर्ड बैठक में लिया गया । कई आवंटी विद्युत की आपूर्ति की समस्या, ट्रेसिंग की अनुपलब्धता, अतिक्रमण समेत अन्य विभिन्न कारणों से इकाई स्थापित नहीं कर सके हैं । उन्हें आवंटन के बाद भौतिक कब्जा नहीं मिला है । उनके के लिए भौतिक कब्जे की अवधि का , प्राधिकरण समय विस्तार करेगा । एसआईटी जांच और विधिक आदि से संबंधित समस्याओं के कारण प्रक्रिया देरी से पूरी हुई और भूखंड का उपयोग बिलंब से हुआ तो भी उन्हें सुविधा का लाभ मिलेगा ।

SAI ELECTRICALS
Dealing in:
Transformer & Servo
Sai Dhaam, Vicyoria Park, Meerut-250001
Mob. No.: 7533900800, 9927869400
E-mail: info@saielectricals.com
Website: www.saielectricals.com

भूखंडो की ऑनलाइन नीलामी से औधोगिक विकास को गति देने की तैयारी

योगी सरकार अब मेगा ई-आक्शन के माध्यम से बड़े स्तर पर औधोगिक इकाइयों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी कराएगी। इस क्रम में लखनऊ, कानपुर, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, अयोध्या, आगरा, मेरठ, गाज़ियाबाद, बरेली, गोरखपुर व अलीगढ में औधोगिक भूखंडो की नीलामी के लिए 13 जुलाई को सुबह 10 बजे ऑनलाइन आक्शन का आयोजन किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश राज्य औधोगिक विकास विभाग द्वारा आयोजित मेगा ई-आक्शन में कुल 154 इंडस्ट्रियल, तीन ग्रुप हॉउसिंग, एक नर्सिंग होम, एक वेइंग ब्रिज, आठ वेयरहाउस के लिए प्लाटों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। फ्लैटेड फैक्टरी में 10 रेंटेड हाल के लिए भी आवंटन का मार्ग प्रशस्त होगा। नीलामी में भाग लेने और फीस जमा कराने की प्रक्रिया हो चुकी है। ई-आक्शन को लेकर औधोगिक भूमि का बेस प्राइज तय कर दिया है। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, झांसी व आगरा का बेस प्राइस अपेक्षाकृत अधिक रखा है। संख्या के लिहाज से अलीगढ, बरेली, अयोध्या मंडलीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा औधोगिक प्लाट नीलामी के लिए सूचीबद्ध किए हैं।

औधोगिक लाइसेंस की वैधता तीन साल से बढ़ाकर 15 साल की

सरकार ने कहा कि आइडीआर अधिनियम के तहत जारी किए गए सभी औधोगिक लाइसेंस तीन साल के बजाय 15 वर्ष के लिए वैध होंगे। उधोगों को लाइसेंस जारी करने के प्रविधान उधोग विकास एवं नियमन (आईडीआर) अधिनियम के तहत किए गए है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवद्धर्न विभाग ने बयान में कहा कि यह कदम कारोबारी सुगमता बढ़ाने को रक्षा क्षेत्र के लिए जारी लाइसेंस की तर्ज पर उठाया जा रहा है।

अब गुणवत्ता नियमों के दायरे में आएंगे नट, बोल्ट: सरकार ने नट, बोल्ट और 'फास्टनर' के लिए गुणवत्ता मानदंड पेश किए है। इन वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री/व्यापार, आयात और भंडारण तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि उनपर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) का निशान न हो।

उद्योगों को आसानी से मिलेगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण- पत्र

उधमियों को अब अनापत्ति प्रमाण- पत्र के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। उधोगों के अनुकूल माहौल बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रदेश सरकार ने उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब आरेंज श्रेणी (100 किलोलीटर औधोगिक उत्प्रवाह) वाले उधोगों को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार मुख्य पर्यावरण अधिकारी को दे दिया गया। नई व्यवस्था से उधमी भी खुश है और उनका कहना है कि कम समय में आसानी से काम हो जाएगा। लाल और आरेंज श्रेणी के खतरनाक उधोग यानी टेनरी, केमिकल इंडस्ट्री आदि को अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र बोर्ड मुख्यालय से जारी होता है।

लोन के लिए प्राधिकरण से मकान का नक्शा पास कराना होगा जरुरी

सिर्फ आर्किटेक्ट से नक्शा बनवा लेने से नहीं चलेगा काम, अवैध निर्माणों पर अंकुश के लिए विकास प्राधिकरणों में जल्द लागू होगी नई व्यवस्था

शहरों में अवैध निर्माण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सरकार अब नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके तहत विकास प्राधिकरण की सीमा में मकान बनाने के लिए बैंक से लोन तभी मिलेगा, जब प्राधिकरण से नक्शा पास होगा। नई व्यवस्था से नक्शा पास करने के नाम पर घालमेल के खेल पर भी पाबंदी लगेगी। प्रदेश के सभी प्राधिकरणों में यह व्यवस्था जल्द लागू होगी। मौजूदा व्यवस्था में शहरों में सिर्फ आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाकर उसपर मुहर लगवाकर लोग बैंकों में लोन के लिए आवेदन दाखिल कर देते हैं। बैंक भी सिर्फ जमीन की स्थिति और दस्तावेजों का परीक्षण करके लोन स्वीकृत कर देते हैं। धन की व्यवस्था होने पर तमाम लोग विकास प्राधिकरणों से बिना नक्शा पास कराए ही मकान बना लेते हैं । इससे शहरों में हर वर्ष अवैध निर्माणों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में आवास विभाग ने बैंकों की मदद लेकर अवैध निर्माण रोकने के उद्देश्य से यह नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है । इसके लिए विभाग ने राज्य स्तरीय बैंकिंग कमेटी को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। अब बैंकर्स अपने उच्च प्रबंधन से आवास विभाग के प्रस्ताव पर मंजूरी लेकर बैंकों में नई व्यवस्था लागू कर देंगे।

प्राधिकरणों की आय बढ़ेगी, विकास कार्य होंगे तेज

नई व्यवस्था का असर विकास प्राधिकरणों की आय पर भी पड़ेगा। जब उनके क्षेत्र में अधिक नक़्शे पास होंगे तो प्राधिकरणों में विकास शुल्क समेत कई अन्य तरह के शुल्क भी लोगों को जमा करने होंगे। इससे प्राधिकरणों की आय बढ़ेगी। आय बढ़ने से शहरो में विकास कार्य भी तेज होगा।

स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट भी अनिवार्य

आवास विभाग शहरी क्षेत्रों में बन रहे बहुमंजिली इमारतों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिहाज से स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट को अनिवार्य करने पर भी विचार कर रहा है। इसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरणों द्वारा तैयार कराए गए मानक संचालन प्रक्रिया को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

- ऑडिट के तहत सभी इमारतों अग्नि, भूकंप समेत अन्य आपात स्थितियों में सुरक्षा संबंधी मानकों का आकलन किया जाएगा। कमी होने पर उसमे सुधार कराया जाएगा। साथ ही ऐसा न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान होगा।

INDRA BRICK WORKS

Manufacturers of:
MOHAN BRAND Quality Bricks and Tiles

KARTAR SINGH & SONS
Warehouses Unit's

Office:

6-B, Shambhu Nagar, Baghpat Road,
Meerut City-250002
Phone: 0121-4002210
Email: rajinder_2068@yahoo.com

Works:

Malyana Before Bypass,
Baghpat Road,
Opp. Delhi Public School
Meerut City

मानचित्र के लिए नगर निगम की एनओसी की आवश्यकता खत्म

मानचित्र की प्रक्रिया भले ही ऑनलाइन हो गई है, लेकिन विभिन्न विभागों से लिए जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) में मिलने में एक साल तक की देरी हो रही है। मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) के वीसी अभिषेक पांडेय लंबे समय से इस समस्या को सुलझाने मे लगे हुए है। उन्होंने प्रमुख आर्किटेक्ट के साथ बैठक करके दो सहूलियत तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। मानचित्र आवेदन के लिए अब नगर निगम से एनओसी नहीं ली जाएगी। सामान्य तौर पर एडीएम की एनओसी में ही नगर निगम से संबंधित मामले का जिक्र होता है। नगर निगम से एनओसी किसी विशेष परिस्थिति में ही ली जाएगी। दूसरी सहूलियत दी है नामांतरण प्रमाण पत्र न लेना। ये दोनों आदेश लागू हो गए हैं।

एडीएम के यहां से छह महीने, एनएचएआइ से एनओसी आने में एक साल तक का समय लग रहा है। इससे मानचित्र स्वीकृति में देरी हो रही है। ऐसे में इसके समाधान के लिए वीसी ने तय किया है कि वह इस समस्या को बोर्ड बैठक में ले जाएंगे। इसमें प्रस्ताव रखेंगे कि यदि कोई भी विभाग 45 दिन के अंदर एनओसी पर जवाब नहीं देता है तो स्वतः एनओसी मान ली जाएगी। हालांकि यह निर्णय बोर्ड की स्वीकृति पर निर्भर करेगा।

मानचित्र के लिए किसी को न दें रिश्वत

वीसी ने सभी आर्किटेक्ट से कहा कि मानचित्र स्वीकृति के लिए किसी भी स्तर पर रिश्वत न दें। यदि कोई बेवजह देरी करता है तो उसकी जानकारी उन्हें दें। मेडा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, इसमें आर्किटेक्ट भी सहयोग करें।

- मानचित्र आवेदन पर नामांतरण प्रमाण पत्र भी नहीं लेगा मेडा
- एनओसी में देरी पर आर्किटेक्ट के साथ मेडा वीसी ने की बैठक

बिजली उपभोक्ताओं की व्यथा सुनेगा निवारण फोरम

पश्चिमांचल विधुत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) के तहत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम का गठन कर दिया गया है। ऊर्जा भवन समेत तीन जिलों में फोरम के कार्यालय रहेंगे। ऊर्जा भवन स्तर पर काल सेंटर के काम-काज प्रदर्शन से संबंधित शिकायतें, एक करोड़ या उससे अधिक के बिल और आकलन से संबंधित विवाद व निचले फोरमों की सभी अपीलें सुनी जाएंगी, जबकि वितरण क्षेत्र स्तर पर 15 लाख तक या एक करोड़ से कम तक के बिल और आकलन से संबंधित विवाद, शिकायतों का निवारण फोरम द्वारा किया जाएगा।

पीवीवीएनएल की प्रबंध निदेशक चैत्रा वी. ने बताया कि नोएडा क्षेत्र, मुरादाबाद क्षेत्र, बुलंदशहर क्षेत्र एवं ऊर्जा भवन में फोरम के कार्यालय होंगे। फोरम का एक कार्यालय पश्चिमांचल विधुत वितरण निगम लिमिटेड ऊर्जा भवन मेरठ में होगा। यहां निदेशक वाणिज्य से 9193330012 नंबर पर संपर्क कर सकते है। नोएडा में 9193330101, मुरादाबाद में 9193300100, और बुलंदशहर में 9193302000 पर संपर्क कर सकते है।

हर काम में अब मान्य होगा जन्म प्रमाण पत्र

आपका जन्म प्रमाण पत्रयानी बर्थ सर्टिफिकेट अब एक बेहद अहम दस्तावेज साबित होने वाला है। दूसरे शब्दों में कहें तो जन्म प्रमाण पत्र एकल दस्तावेज के रूप में काम करेगा। आपको किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेना हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना हो, आधार कार्ड बनवाना हो, विवाह का पंजीकरण कराना हो या फिर सरकारी नौकरी में नियुक्ति पानी हो, हर जगह यह प्रमाण पत्र मान्य होगा। एकल दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र के उपयोग की अनुमति देने के उद्देश्य से लोकसभा में इस संबंध में विधेयक पेश किया गया।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 पंजीकृत जन्म और मृत्यु का एक राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय डाटाबेस बनाने में मदद मिलेगी। परिणामस्वरूप सार्वजनिक सेवाओं, सामाजिक लाभों और डिजिटल पंजीकरण की सेवाओं में पारदर्शिता आएगी ।

इस अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक इसमें संशोधन नहीं किया गया था। वक्त बदलने के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन आए है और तकनीकी रूप से भी काफी प्रगति हुई है। इसलिए आमजन की सुविधा के लिए इस अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता शिद्दत से महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों, आम जनता और अन्य हितधारकों के साथ किए गए परामर्श के आधार पर यह संशोधन विधेयक लाया गया है। जन्म प्रमाण पत्र आपदा या महामारी की स्थिति में मृत्यु के त्वरित पंजीकरण और प्रमाण पत्र जारी करने में भी अहम रहेगा।

- ये एकल दस्तावेज स्कूल में प्रवेश से लेकर सरकारी नौकरी तक आएगा काम
- जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 लोकसभा में पेश

SANGAL PAPERS LTD.

Manufacturing Papers Based on Customer Needs

Newsprint Paper, Superior Kraft Paper, Construction/Pastel Paper, Envelope Grade Paper, Ribbed Kraft Paper, High Bulk Paper Writing/Printing Paper, MG poster Grades & Other Specialized Grades Paper

Regd. Office/ Works
Village Bhainsa, 22 Km.
Meerut-Mawana Road, Mawana
Ph.: 01233-271137, 271464, 271515, 274324

निवेश मित्र पोर्टल से जोड़ी जाएंगी अब 36 और सेवाएं

निवेशकों की सहूलियत के लिए मैनुअल सेवाओं को भी पोर्टल से जोड़ने शुरुआत, 458 सेवाएं मिलेंगी एक जगह

प्रदेश सरकार निवेश परियोजनाओं के सामूहिक शिलान्यास समारोह (ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी) से पहले निवेशकों को सहूलियतों की सौगात देने की तैयारी कर रही है। कई विभागों और औधोगिक विकास प्राधिकरणों से जुडी 36 और सेवाएं निवेश मित्र पोर्टल से जोड़ी जाएंगी। इससे पेट्रोल पंप खोलने के लिए एनओसी, बीजों व उर्वरकों के विक्रय व भंडारण के लाइसेंस के अलावा निवेशकों को भूमि की आवश्यकता व उसमें विभिन्न तरह के बदलाव से जुडी कार्यवाही में आसानी होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस संबधं में उनके कार्यालय ने कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश में कारोबारी सहूलियतों के लिए निवेश से जुड़े सभी विभागों की सेवाओं को निवेश मित्र (सिंगल विंडो पोर्टल) से जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में 422 सेवाएं इस पोर्टल पर है। कई विभागों व प्राधिकरणों की सेवाएं विभागीय पोर्टल पर है, लेकिन निवेश मित्र से नहीं जुड़ी हैं। कई सेवाएं मैनुअल दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ऐसी सेवाओं को निवेश मित्र पोर्टल से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। यह काम पूरा होने पर निवेशकों को 458 सेवाएं एक ही पोर्टल पर मिलने लगेंगी। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये 36 सेवाएं कृषि, खाद्य एवं रसद, गीडा, यूपीडा, यीडा, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा, नोएडा व सतहरिया औधोगिक विकास प्राधिकरण से जुडी हैं। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल इस संबंध में 25 जुलाई को बैठक करेंगे। इसमें आगे की कार्यवाही पर निर्णय होगा।

निवेश मित्र पर सेवाएं जुड़ने के फायदे

- निवेशकों को अलग-अलग पोर्टल पर आवेदन के झंझट से राहत।
- सभी तरह के आवेदन, अनापत्ति और मंजूरी एक ही स्थान से ऑनलाइन।
- आवेदन, अनापत्ति या मंजूरी की स्थिति की ऑनलाइन जानकारी।
- इसके जरिये ऑनलाइन की शिकायत भी दर्ज कराई जा सकेगी।

कैबिनेट के फैसले

निजी फार्मास्युटिकल व् डिवाइस पार्क को देंगे विशेष प्रोत्साहन

जमीन खरीदने से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पाद की सरकार करेगी ब्रांडिंग

प्रदेश की फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भर व हब बनाने के लिए उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उधोग नीति- 2023 लागू करने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इस नीति के तहत प्रदेश सरकार निजि फार्मास्युटिकल व मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने पर निवेशकों को विशेष प्रोत्साहन देगी। उन्हें जमीन व मशीनरी खरीदने, अनुसंधान एवं नवाचार करने के साथ - साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियों व मेलों में उत्पादों को प्रदर्शित में भी वित्तीय मदद देगी। पांच वर्षो के लिए लाई गई इस नीति में बुंदेलखंड और पूर्वांचल में निवेश करने पर विशेष छूट दी जाएगी। इन जिलों में इकाइयां लगाने के लिए दो प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान सात वर्षो के लिए दिया जाएगा। इसके साथ ही संयंत्र और मशीनरी को खरीद के लिए ऋण पर प्रतिपूर्ति के रूप में पांच वर्ष के लिए पांच प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अधिकतम एक करोड़ रूपये की मदद दी जाएगी।

नई नीति के माध्यम से प्रदेश में फार्मा व मेडिकल डिवाइस पार्को, मेगा प्रोजेक्टर्स और एमएसएमई पर फोकस होगा। इस क्षेत्र में निवेश व रोजगार सृजन के साथ - साथ लोगों को सस्ती व गुणवत्तापरक औषधियां उपलब्ध होंगी।

वाहनों की फिटनेस जांच के लिए जिले में खुल सकेंगे एक से अधिक केंद्र

प्रदेश सरकार ने वाहनों की फिटनेस जांच के लिए प्रत्येक जिले में एक से अधिक स्वचालित परिक्षण स्टेशन (एटीएस) की स्थापना का रास्ता साफ़ कर दिया है। निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले एटीएस के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने नई राज्य नीति के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। स्क्रैप सेंटर की तरह ही एटीएस की स्थापना अब टेंडर के बजाय प्रथम आगत

प्रथम पावत के आधार पर होगी। इस व्यवस्था से एक जिले में एक से अधिक स्टेशन खुल सकेंगे। इनमे आपस में प्रतिस्पर्धा भी होगी और किसी का एकाधिकार नहीं रहेगा।

शमन शुल्क भरवाकर निपटाए जाएंगे मामूली अपराध के मुकदमे

न्यायालयों में लंबित वादों की संख्या कम करने के लिए शमन शुल्क भरकर खत्म किये जाने की श्रेणी में आने वाले अपराधों के निस्तारण का निर्णय किया गया है। कैबिनेट ने इसके लिए उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) संशोधन आध्यादेश-2023 को मंजूरी दी है, जिससे अब 31 दिसंबर, 2021 से पूर्व से सीआरपीसी की धारा 107 व 109 के अंतर्गत लंबित वादों का निस्तारण हो सकेगा। मोटर वाहन अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम, पुलिस अधिनियम, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम तथा उत्तर प्रदेश दुकान व बनिया अधिष्ठान अधिनियम के अलावा आइपीसी की धारा 160 के मामलों का शमन शुल्क लगाकर निस्तारण कराया जा सकेगा। इससे पूर्व भी ऐसे वादों का निस्तारण के लिए अध्यादेश में संशोधन की मंजूरी दी गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार मामूली अपराध के ऐसे पुराने प्रकरणों में संबंधित आरोपित बार- बार नोटिस भेजे जाने के बाद भी कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं, जिससे इन लंबित वादों की संख्या बढ़ती जाती है। इनके निस्तारण के लिए ही अधिनियम में समय- समय पर संशोधन किया जाता रहा है।

SAI ELECTRICALS

Dealing in:

Transformer & Servo

Sai Dhaam, Vicyoria Park, Meerut-250001

Mob. No.: 7533900800, 9927869400

E-mail: info@saielectricals.com

Website: www.saielectricals.com

टाउनशिप विकसित करने के लिए सात शहरों को दिए गए एक हजार करोड़

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के सात प्राधिकरणों को एक हजार करोड़ रूपये बतौर सीड कैपिटल देने का निर्णय किया है। एक हजार करोड़ रूपये में से सर्वाधिक 400 करोड़ गोरखपुर, अलीग़ढ और आगरा को 150- 150 करोड़, बुलंदशहर व बरेली को 100- 100 करोड़, झांसी को 90 करोड़ तथा चित्रकूट को 10 करोड़ आवंटित किए है।

सार्वजनिक उपयोग की जमीन की अदला- बदली व श्रेणी परिवर्तन का अधिकार मंडलायुक्त को

राज्य सरकार ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन में होने वाले विलंब को रोकने तथा उधमियों व व्यवसायियों को कारोबार करने में सहूलियत देने के लिहाज से सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि की अदला- बदली और श्रेणी परिवर्तन का अधिकार मंडलायुक्त को देने का निर्णय किया है। अभी तक यह अधिकार शासन को था। कैबिनेट बैठक में राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई।

जल पर्यटन व साहसिक खेलों को मिलेगा बढ़ावा

योगी सरकार प्रदेश में पैराग्लाइडिंग, वाटर राफ्टिंग, वाटरफाल रैपेलिंग, राक कलाइम्बिंग, ट्रेकिंग, स्काई डाइविंग जैसी साहसिक खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगी। इन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ उन्हें निंयत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा नीति- 2023 को लागू करने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री ने बैठक में इस नीति को मंजूरी दे दी गई है।

जुर्माना लेकर ख़त्म होंगे छोटे अपराध के मुक़दमे

कैबिनेट ने उप्र दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) संशोधन विधेयक 2023 के तहत प्रदेश में 31 दिसंबर 2021 तक दर्ज हुए ऐसे वाद, जो शमन शुल्क भरकर अथवा स्वत: समाप्त होने वाले हैं, उन्हें खत्म करने का निर्णय लिया है।

- दरअसल पुराने प्रकरणों में अभियुक्त बार-बार समन भेजने पर उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में लंबित वादों की संख्या बढ़ती जाती है। कैबिनेट के निर्णय के बाद 31 दिसंबर 2021 तक दर्ज सीआरपीसी की धारा 107 और 109 के तहत दर्ज हुए मामले जुर्माना लेकर समाप्त कर दिए जाएंगे।

भू उपयोग परिवर्तन पर 1% स्टांप ड्यूटी समाप्त

कैबिनेट ने ग्रामीण इलाकों में कृषि भूमि का आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोग परितर्वन के लिए लगने वाली एक प्रतिशत स्टांप ड्यूटी समाप्त करने का प्रस्ताव मंजूर किया है। अब केवल एक प्रतिशत पंजीकरण शुल्क (कोर्ट फीस) और 50 रूपये उद्घोषणा शुल्क अदा करने पर भू उपयोग परिवर्तन हो सकेगा। उद्यमियों को औधोगिक इकाई स्थापित करने के लिए कृषि भूमि को व्यवसायिक उपयोग में परिवर्तन कराना पड़ता है।

निवेशकों को 15 हजार रूपये प्रति एकड़ दर से लीज पर मिलेगी भूमि

प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए निजी एवं सार्वजनिक उपक्रमों को ज़मीन लीज पर उपलब्ध कराने का रास्ता साफ़ हो गया है। सार्वजनिक उपक्रमों को एक रुपया प्रति एकड़ प्रतिवर्ष और निजी निवेशकों को 15 हजार रूपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से 30 साल के लिए जमींन लीज पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

सरकार व कर्मचारियों के बीच विवाद के समाधान के लिए अब एक फोरम

प्रदेश सरकार और राज्य कर्मचारियों के बीच लंबित विवादों का आपसी बातचीत से निस्तारण के लिए विभागीय विवाद समाधान फोरम का पुनर्गठन होगा। वर्तमान से संचालित चार समाधान फोरम की जगह एक फोरम का गठन होगा। योगी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि विभिन्न न्यायालयों में सरकार और राज्य कर्मचारियों के बीच भारी संख्या में मुकदमे विचाराधीन हैं। इन मुकदमों के निस्तारण में समय अधिक लगने से सरकार के पैसे का अपव्यय होता है।

कमिश्नर ही बदल सकेंगे जमीनों का भू-उपयोग

अयोध्या को सोलर सिटी विकसित करने के लिए 40 मेगावाट की सोलर लखनऊ, विशेष संवाददाता। राज्य सरकार ने इज ऑफ डूइंग के आधार पर सार्वजनिक उपयोग और आरक्षित श्रेणी की जमीनों का भू -उपयोग बदलने का अधिकार मंडलायुक्तों को दे दिया है । अभी तक यह अधिकार शासन के पास हुआ करता था । प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। इसके लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में संशोधन किया गया है । राजस्व संहिता की धारा -219 के अधीन शक्तियों की व्यवस्था की गई है ।

साइबर ठगी: एक माह में 137 मामले अब घर बैठे ही पोर्टल पर करे शिकायत

ऑनलाइन ठगी, हनी ट्रैप, रकम दोगुनी करने का झांसा देकर लाखों की ठगी सहित कई तरह के साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। पीड़ितों की शिकायतें भी लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर मेरठ से एक माह के अंदर ही 137 साइबर मामले दर्ज किए गए हैं।

इनमें 50 से ज्यादा मामलों में कार्रवाई हो चुकी है। बाकी में जांच जारी है। इतनी शिकायतें आने पर अब इस पोर्टल के बारे में लोगों को और जागरूक किया जा रहा है। साइबर विशेषज्ञों और पुलिस टीमों को भी जिम्मेदारी दी गई है।

B.R. Studio

Dealing In:

Destination Photography, Wedding Photography,
Maternity Shoots, Cinematic Videography etc.
Sadar Dal Mandi, Meerut
Mob. No.: 9837085461, 9997025461
Email: agarwalkartikey@gmail.com

ऐसे कर सकेंगे शिकायत

- सबसे पहले शिकायतकर्ता को https://cybercrime.gov.in पर जाना होगा। महिला और बच्चों से संबंधित साइबर अपराध की शिकायत के लिए अलग विकल्प होगा, जबकि अन्य साइबर अपराधों की शिकायत के लिए अलग विकल्प होगा। शिकायतकर्ता को संबंधित विकल्प पर जाकर अंडरटेकिंग पृष्ट पर एक एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यूजर का नाम व मोबाइल मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- मोबाइल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। शिकायत पंजीकृत करने के लिए चार हिस्से दिए गए हैं। इनमें घटना का विवरण, संदिग्ध व्यक्ति का विवरण, शिकायतकर्ता का विवरण, प्रीव्यू व सबमिट होंगे।
- यदि संदिग्ध या आरोपी के संबंध में कोई सूचना नहीं है, तो सेव और नेक्सट बटन पर क्लिक कर आगे बढ़ जाएंगे। शिकायतकर्ता पूरी जानकारी भरने के बाद सेव व प्रिव्यू बटन पर क्लिक करेगा। इसके बाद आई एग्री, चेक बाक्स व अंत में कंफर्म व सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आवेदन पूरा हो जाएगा।

मामले बढ़े तो जागरूकता भी बढ़ रही

नोडल अधिकारी एवं एसपी क्राइम अनित कुमार का कहना है कि साइबर अपराध बढ़े हैं तो लोगों में जागरूकता भी बढ़ रही है। पीड़ित पोर्टल पर घर बैठे ही ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं। जल्द जांच कर साइबर अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है।

निर्यात बढ़ाने के लिए 40 देशों पर खास नजर

घटते निर्यात को देखते हुए बनाई नई नीति, इन देशों को भेजी जाती हैं 85% वस्तुएं

विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में सुस्ती और विकासशील देशों की खपत में हो रही गिरावट से वस्तु निर्यात का प्रदर्शन खराब चल रहा है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दूसरे महीने मई में भी

वस्तु निर्यात में पिछले साल मई के मुकाबले 10.31 फीसद की गिरावट रही। इस साल अप्रैल में वस्तु के निर्यात में पिछले साल अप्रैल के मुकाबले12 फीसद की गिरावट हुई थी। मई महीने में वस्तुओं के आयात में भी पिछले साल मई के मुकाबले 6.58 फीसद की गिरावट रही। निर्यात के प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय अब नई नीति अपनाने जा रही है। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने बताया कि नई नीति के तहत हम 40 देशों के बाजार पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं क्योंकि इन 40 देशों में भारत का 85 फीसद निर्यात होता है। उन्होंने बताया कि वाणिज्य विभाग, उद्योग विभाग, इंवेस्ट इंडिया और सभी दूतावास मिलकर निर्यात बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि व्यापार के साथ भारत में निवेश बढ़ाने को लेकर अलग से 11 देशों का चयन किया गया है। उनपर भी फोकस किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विकासशील देशों में पिछले साल का स्टॉक है और उन स्टॉक के खत्म होते ही उन देशों में मांग बढ़ेगी। दूसरी तरफ मई में सेवा सेक्टर के निर्यात में अति मामूली बढ़ोतरी रही। इस साल मई में सेवा सेक्टर का निर्यात 25.30 अरब डॉलर का रहा जबकि पिछले साल मई में यह निर्यात 25.13 अरब डॉलर का था। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय का कहना है कि सेवा निर्यात का यह आंकड़ा अंतिम आंकड़ा नहीं है और इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। गत वित्त वर्ष 2022-23 में सेवा सेक्टर में 27 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी।

इन वस्तुओं का निर्यात घटा

इस साल मई में जेम्स व ज्वैलरी, लेदर व लेदर उत्पाद, इंजीनियरिंग गुड्स, यार्न, सभी प्रकार के गारमेंट्स, हैंडीक्राफ्ट्स जैसे सभी रोजगारपरक सेक्टर के साथ पेट्रोलियम पदार्थों के निर्यात में गिरावट दर्ज की गई। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्यात में पिछले साल मई के मुकाबले 73 फीसद की बढ़ोतरी रही। सेरामिक उत्पादों के निर्यात में पिछले साल मई के मुकाबले 17 फीसद तो चावल के निर्यात में 14.27 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मई में सोने के आयात में पिछले साल मई के मुकाबले 38.71 फीसद तो चांदी के आयात में 93.92 फीसद की गिरावट रही। पिछले महीने व्यापार घाटा 22.12 अरब डालर रहा है जो पांच महीनों में सबसे ज्यादा है।

- 34.9 अरब डालर की वस्तुओं का निर्यात रहा मई 2023 में
- 57.10 अरब डालर की वस्तुओं का आयात किया पिछले माह

सोना- चांदी व कीमती रत्नों पर भी अब लगेगा ई-वे बिल

दो लाख या अधिक मूल्य के धातु पर लागू होगा नियम

सोना- चांदी व कीमती रत्न भी पहली बार ई-वे बिल के दायरे में आ गए हैं। अब दो लाख रूपये या इससे ज्यादा कीमत के सोना- चांदी व अन्य कीमती रत्न प्रदेश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने पर ई- वे बिल जनरेट करना होगा।

प्रत्येक राज्य के राज्य कर आयुक्त को ये अधिकार दिए गए हैं कि जिस तारीख से वह आदेश जारी करेंगे, उस राज्य में उसी तारीख से ई- वे बिल बनाना अनिवार्य हो जाएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस पहल का मकसद सोना- चांदी की तस्करी पर रोक लगाना है।

जीएसटी काउन्सिल की पिछली बैठकों में कीमती धातुओं के परिवहन पर ई- वे बिल लागू करने का प्रस्ताव कई राज्यों ने दिया था। अब इस पर मुहर लगा दी गई है। राज्य अपनी सुविधानुसार इसको लागू करेंगे। माना जा रहा है कि एक अक्टूबर से नया नियम लागू हो जाएगा।

सुरक्षा के लिए वाहन की जानकारी गोपनीय

ई- वे बिल का फार्म दो हिस्सों में होता है। पार्ट- ए में माल की जानकारी, वजन व कीमत आदि होती हैं। पार्ट- बी में वाहन संख्या, पहचान व दूरी का विवरण भरा जाता है। ज्वैलरी की सुरक्षा को देखते हुए बिल का केवल पार्ट- ए भरना होगा। पार्ट- बी को इससे मुक्त किया गया है।

SHIVANGI INTERNATIONAL

Dealing in:

Trading, Real Estate, Mining, Manufacturing, Hospitality, Distribution & Marketing

A-216, 2nd Floor, Apex Meerut Mall, Delhi Road, Meerut
Tel. 91-121-2517723, Mobile: 91-9997041110
Email: shivangi2@gmail.com, info@shivangiinternational.com
Website: www.shivangiinternational.com

रिपेयरिंग के लिए भेजने पर भी ई- वे बिल

अधिसूचना के मुताबिक पंजीकृत ज्वैलरी कारोबारियों को राज्य के अंदर दो लाख रूपये से ज्यादा गहनों की बिक्री, स्टॉक ट्रांसफर या रिपेयरिंग के लिए ई- वे बिल डाउनलोड करना होगा। अपंजीकृत व्यापारी से खरीद- फरोख्त पर भी इसे जारी करना होगा।

सीमा शुल्क बंदरगाह, हवाई अड्डे, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सीमा शुल्क स्टेशन से कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन में यह नियम नहीं लगेगा। कोरियर या ई- कॉमर्स ऑपरेटर के जरिये सोना- चांदी- रत्न भेजने पर विशेष नंबर जनरेट किया जाएगा। साथ नहीं ई- वे बिल भी जनरेट करना होगा।

Nipro PharmaPackaging is now Great Place to Work certified!!

Nipro PharmaPackaging India is part of Nipro Corporation Japan. Nipro, a global healthcare company employs over 35k colleagues and has a culture of high performance, customer focus, and employee engagement. This has led Nipro PharmaPackaging India to being awarded with the certificate of the Great Place to Work – Oct' 22 – Oct'23. In addition to the above achievement, Nipro PharmaPackaging India has now earned its recognition as being one of the top 50 "India's Best Workplaces in Manufacturing 2023".

Ashish Moghe, the Managing Director of Nipro in India, states, "Nipro's dedication to investing in its workforce is a key factor in its success. In 2022, Nipro PharmaPackaging India gathered further pace in the last year and crossed a few milestones. One such milestone was getting certified as a Great Place To Work! The Great Place to Work® Certification Program is the first step for an organization on its journey of building a High-Trust, High-Performance Culture™ and our organization has successfully accomplished this milestone.

To continue the same path of progress and development for us as individuals and as an organization we also enrolled ourselves for assessment for yet another prestigious certification, which is TOP 50India's Best Workplaces in Manufacturing 2023. This year, 201 organizations in the Manufacturing sector undertook this assessment. All these organizations underwent a rigorous assessment. The results are finally out, and it gives me an immense amount of joy and pride to share that both plants of Nipro PharmaPackaging India (Meerut & Pune) HAVE WON THIS CERTIFICATION!!

I feel honoured to be a part of such a fantastic team. Looking forward to creating many more milestones”

“We are thrilled to receive the recognition as India's Best Workplaces in Manufacturing 2023. We are committed to fostering an environment of transparency, teamwork, and participation. Our organization promotes bonding among colleagues and encourages continuous improvement.Our team takes pride in working for a Great Place to Work certified company, and this recognition not only attracts top talent but also builds loyalty among our employees. The Trust Index study conducted by Great Place to Work provides valuable insights for us to improve as an organization. We strive to be an employer of choice and this recognition is a testament to our efforts.”, states Mr. Juned Akhtar(General Manager- Human Resource, Nipro PharmaPackaging India Pvt. Ltd.

Govt eases norms to avail benefits under advance authorisation scheme

The government on Monday simplified norms for exporters to avail benefits of an advance authorisation scheme under which free imports of input materials are allowed.

The Directorate General of Foreign Trade (DGFT) implements this scheme under the Foreign Trade Policy.

The eligibility of inputs is determined by sector-specific norms committees based on input-output norms.

To make the norms fixation process more **efficient**, the DGFT said that it has created a user-friendly and searchable database of ad-hoc norms fixed in the previous years.

These norms can be used by any exporter without approaching the norms committee, it added.

The database is hosted on the DGFT website (https://dgft.gov.in) and allows users to search using export or import item descriptions, technical characteristics, or Indian tariff classification codes.

"This trade facilitation measure simplifies the advance authorisation and norms fixation process, resulting in shorter turnaround times for exporters, improved ease of doing business, and reduced compliance burden," it added.

Explaining the process, the directorate stated that to access the database, an exporter or public can visit the DGFT website and if an ad-hoc norm matches the item description, the applicant can apply for the scheme under the 'No-Norm Repeat' basis.

This option, it said, allows users to obtain an advance authorisation without approaching the committee again, reducing the workload and enabling faster processing.

The commerce ministry is taking a series of measures to promote ease of doing business for exporters, which are hit by global demand slowdown and war between Russia and Ukraine.

India's exports contracted by 22 per cent, the steepest decline in the last three years, to USD 32.97 billion in June on account of global demand slowdown, especially in the Western markets like the US and Europe.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX